न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: गौरव अग्रवाल आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **09/2022** अपील (राजस्व)

GCMS No 2022/10

श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व. श्री गुलाब डांगी निवासी–मोतीखेड़ा, तहसील–मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती पुष्पा निवासी–खाल्या की भागल, लोयरा, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
2. सुश्री खुशबू निवासी–खाल्या की भागल, लोयरा, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
3. श्रीमती नारायणी पत्नी श्री नारू उर्फ नारायण डांगी, निवासी–मोतीखेड़ा, तहसील–मावली, जिला उदयपुर
4. माना पिता श्री नारू उर्फ नारायण डांगी, निवासी–मोतीखेड़ा, तहसील–मावली, जिला उदयपुर
5. प्रभू पिता श्री नारू उर्फ नारायण डांगी, निवासी–मोतीखेड़ा, तहसील–मावली, जिला उदयपुर
6. श्रीमती हिरा बाई पुत्री श्री नारू उर्फ नारायण डांगी, निवासी–मोतीखेड़ा, तहसील–मावली, जिला उदयपुर
7. रामा पिता भेरा डांगी निवासी–मोतीखेड़ा, तहसील–मावली, जिला उदयपुर
8. कूका पिता भेरा डांगी निवासी–मोतीखेड़ा, तहसील–मावली, जिला उदयपुर

—— रेस्पोडेन्टगण

अपील बनाराजगी तहसीलदार मावली, उदयपुर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 811 निर्णय दिनांक 06.11.2021 के विरूद्ध

उपस्थित : 1. श्री कैलाश नागदा अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री भवानी शंकर पानेरी, अधिवक्ता वि.सं. 1 व 2

निर्णय

दिनांकः– 27/04/2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नारू उर्फ नारायणलाल जो कि अपीलान्ट के ससुर थे जिनका दिनांक 19.03.2019 को देहावसान हो चुका है। उनके

जिला कलक्टर
उदयपुर

स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा मोतीखेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर में स्थित है। जिसका विवरण नामान्तरकरण मे हो रखा है। अपीलान्ट के पति की मृत्यु दिनांक 17.11.2006 को हो चुकी है तब से ही अपीलान्ट विधवा का ही जीवन यापन कर रही है जो कभी अपने पीहर में तथा कभी अपने ससुराल मोतीखेडा मे रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। अपीलान्ट के पति द्वारा अपीलान्ट के होते हुये कभी दूसरा विवाह नहीं किया न ही पति के जीते जी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को कभी देखा गया न पति के मरने के बाद देखा गया। केवल मात्र अपीलाण्ट के पति की सम्पति को हडपने के लिये सुनियोजित षडयंत्र के तहत यह नामान्तरकरण पारित कराया गया ताकि अपीलान्ट के पति की सम्पति को खुर्द खुर्द कर सके। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी मावली न्यायालय मे प्रस्तुत किया था जिसमे मेरे ससुर देवर सभी को पक्षकार बनाकर प्रस्तुत किया था। उस वाद की कलम संख्या 1 का मेरे परिवारवालो ने जबावदावा प्रस्तुत किया उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि **वादपत्र की कलम संख्या एक आंशिक रूप से स्वीकार, श्रीमती पुष्पा एवं सुश्री खुशबू का नारू उर्फ नारायण की पुत्रवधू और पौत्री होना अस्वीकार क्योंकि प्रतिवादी संख्या एक के पुत्र गुलाब का एक मात्र विवाह श्रीमती लसी उर्फ लक्ष्मी के साथ हुआ था प्रतिवादी नारू के पुत्र का अन्यंत्र कोई विवाह नहीं हुआ था।**" तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के वाद का सम्पूर्ण रूप से विरोध किया गया था। इस प्रकार स्पष्ट रूप से जबावदावा मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को पहचानने से ही इंकार किया, इस पर न्यायालय द्वारा तनकीयात बनाई और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के न्यायालय में बयान हुये उसमे स्पष्ट रूप से रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त आराजीयात पर अपना कब्जा होना इंकार किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 जो अपने आपको गुलाब की पत्नी होना बताती है, गुलाब के साथ शादी कब हुई, कहा हुई तथा इतने वर्षों से कहा थी, ये सभी विवादित बिन्दु है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन सभी बिन्दुओ को तय किये बिना नामान्तरकरण पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को इस बात की जानकारी होते हुये भी कि वह गुलाब डांगी की विवाहिता पत्नी नहीं है तथा न्यायालय में वाद चल रहा है इस तथ्य को छुपाते हुये एक प्रार्थना पत्र जनसुनवाई में प्रस्तुत किया तथा उस प्रार्थना पत्र के जरिये दबाव बनाकर यह नामान्तरकरण पारित करवाया है, क्योकि जनसुनवाई होने से किसी प्रकार की कोई जांच

न्यायालय जिला कलक्टर * उदयपुर (राज.)

जिला कलक्टर
उदयपुर

नहीं की गयी। मौके पर कहने मात्र से फर्जी दस्तावेज पेश कर नामान्तरकरण खुलवा लिया गया है। जनसुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से सरंपच द्वारा यह प्रमाणित किया गया था कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गुलाब की विवाहिता पत्नी नही है तथा विवाहिता पत्नी अपीलान्ट ही है। तो भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना नामान्तरकरण पारित कर दिया गया है वैसे भी कानूनन प्रथम पत्नी के होते हुये दूसरी अन्य किसी महिला के नाम पर नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता है। इस प्रकार इस नामान्तरकरण के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार का कोई कानूनन हक व अधिकार उत्पन्न नही होता है। जो नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। इस नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी अपीलान्ट का देवर माना दिनांक 21.12.2021 को पटवारी के पास गया तो पटवारी ने बताया कि आपके पिताजी के वारिसो के नाम पर नामान्तरकरण खुल चुका है तथा आपके भाई गुलाब के नाम से भी नामान्तरकरण खुल चुका है तब नामान्तरकरण की नकल 21.12.2021 को प्राप्त की तो उसमे देखने से ज्ञात हुआ कि किसी पुष्पा एवं खुशबू का नाम नामान्तरकरण मे लिखा हुआ है। जबकि मेरे परिवार में इस नाम की कोई महिला नही है, इस प्रकार दिनांक 21.12.2021 से पूर्व इस नामान्तरकरण की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 811 दिनांक 06.11.2021 जो दिनांक 17.11.2021 को स्वीकृत हुआ जिसे निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 की ओर से प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट के ससुर नारू उर्फ नारायणलाल का निधन दिनांक 19.03.2019 को हो चुका है। उनके स्वामित्व की कृषि भूमि मौजा मोतीखेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर में स्थित है, जिसका विवरण नामान्तरकरण दर्ज है। अपीलार्थी के पति की मृत्यु 17.11.2006 को हो चुकी है, जिसके बाद वह विधवा के रूप में कभी अपने पीहर और कभी ससुराल में रहकर जीवन यापन कर रही है। उसके पति ने

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

जिला कलक्टर
उदयपुर

अपने जीवनकाल में कोई दूसरा विवाह नहीं किया था और न ही रेस्पॉन्डेंट संख्या 1 व 2 को कभी देखा या स्वीकार किया गया। रेस्पॉन्डेंट संख्या 1 व 2 ने सुनियोजित षडयंत्र के तहत उसके पति की संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से फर्जी तरीके से नामान्तरकरण करवाया। उन्होंने उपखण्ड अधिकारी, मावली के न्यायालय में घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद भी प्रस्तुत किया था, जिसमें अपीलार्थी के ससुर एवं देवर को पक्षकार बनाया गया। इस वाद के जवाब में परिवार द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि श्रीमती पुष्पा एवं सुश्री खुशबू को नारू उर्फ नारायण की पुत्रवधू एवं पौत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि नारू के पुत्र गुलाब का एकमात्र विवाह अपीलार्थी (लसी उर्फ लक्ष्मी) से ही हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पॉन्डेंट संख्या 1 ने स्वयं वादग्रस्त भूमि पर अपने कब्जे से इनकार किया, जिससे उनके दावों की सत्यता संदिग्ध हो जाती है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों एवं विवादित बिंदुओं पर विचार किए बिना नामान्तरकरण पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं है। रेस्पॉन्डेंट संख्या 1 ने जनसुनवाई के माध्यम से तथ्य छुपाकर और दबाव बनाकर नामान्तरकरण करवाया, जिसमें कोई उचित जांच नहीं की गई। जबकि जनसुनवाई के दौरान सरपंच द्वारा प्रमाणित किया गया था कि अपीलार्थी ही गुलाब की विधिवत पत्नी है, फिर भी इस तथ्य की अनदेखी की गई। कानूनन प्रथम पत्नी के रहते किसी अन्य महिला के नाम पर नामान्तरकरण नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना है कि तहसीलदार मावली द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 811 दिनांक 06.11.2021 (स्वीकृत दिनांक 17.11.2021) को निरस्त किया जाए।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपने कथनों की ताईद में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये:–

1. RRT 2017(2) page 1338
2. RRT 2008(2) page 111
3. RRT 2008(2) page 113
4. RRT 2008(2) page 1424

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने स्वयं को श्री गुलाबचंद की विधवा होना बताकर गुलाबचंद की भूमि के नामान्तरकरण के संबंध में उक्त अपील पेश की गई है. जिसके लिये अपीलान्ट को कानूनन कोई अधिकार ही नहीं है। नामान्तरकरण एक

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

जिला कलक्टर
उदयपुर

संक्षिप्त प्रकिया है जिसमें अपीलान्ट द्वारा वर्णित बिन्दुओ पर निर्णय नही किया जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये बिन्दुओ पर उपखण्ड अधिकारी मावली के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो की ओर से पेश मुकदमा नम्बर 25/2022 वाद अंतर्गत धारा 88 व 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा में निर्णय किया जा सकता है जो वाद वर्तमान में विचाराधीन है, लेकिन अपीलान्ट ने जानबूझकर उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाते हुए अस्वच्छ हाथो से आप श्रीमान के समक्ष उक्त अपील पेश की है। अपीलान्ट ने अपील पेश करने में हुई देरी को माफ कराने हेतु पेश प्रार्थना पत्र में प्रतिदिन की देरी का कोई स्पष्टीकरण नही दिया है तथा देरी का स्पष्ट विवरण भी अंकित नही किया है। ऐसी स्थिति में आज दिनांक तक का समय माफ नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति व दो के पिता के भाई माना की जानकारी को आधार बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जिस वजह से भी अपीलान्ट का कथन धारा 5 मियाद अधिनियम के अनुसार माफी की परिधी में नहीं आता है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील बेरून मियाद होने से खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट लक्ष्मी द्वारा सरकार से विधवा पेंशन प्राप्त करने हेतु पेश आवेदन में पति का नाम केसुलाल अंकित किया गया जिसके अनुसार दिनांक 14.10.2016 को लक्ष्मी को केसुलाल की विधवा होने के आधार पर पेंशन भी स्वीकृत हुई है जो पेंशन की राशि लक्ष्मी लगातार प्राप्त कर रही है। उपरोक्त पेंशन आवेदन व स्वीकृति विवरण संबंधी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की गई। सियालपुरा/देवरिया/लखावली की वोटरलिस्ट में भी अपीलान्ट लक्ष्मी के पति का नाम केशुलाल अंकित है, जिसकी आरटीआई में प्राप्त प्रमाणित प्रति पेश की है। इससे यह पूरी तरह से प्रमाणित हो जाता है कि अपीलान्ट लक्ष्मी के पति का नाम कैसुलाल है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने दादा नारू की दिनांक 19.03.2019 को मृत्यु होने के बाद विरासत से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तरकरण खुलवाने के लिये प्रार्थना पत्र दिनांकित 05.12.2019 प्रस्तुत किया गया जिसकी आरटीआई में प्राप्त सत्यापित प्रति पेश की है, जिसमें वर्णित सजरा के अनुसार गुलाबचन्द डांगी की मृत्यु होने से उनके दो वारिसान है उनकी पत्नी पुष्पा व पुत्री खूशबू। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार गुलाबचन्द के हिस्से की भूमि के नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई लेकिन दिगर रेस्पोडेन्ट व अन्य ने अवैध सांठगांठ करके रेस्पोंडेन्ट एक व दो की भूमि को

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

जिला कलक्टर
उदयपुर

बैईमानीपूर्वक हथियाने की गरज से साजिशपूर्वक श्री केसुलाल डांगी निवासी सियालपुरा की पत्नी लक्ष्मी को फर्जी तरीके से गुलाबचन्द की पत्नी बताते हुए गलत नामान्तरकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की गई। इसकी जानकारी होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो की ओर से लक्ष्मी के नाम को हटाने आदि के लिए उपखण्ड अधिकारी मावली में धारा 88 व 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दिनांक 16.02.2022 को प्रस्तुत किया जिसका मुकदमा नम्बर 25/2022 वाद है जो जैर कार्यवाही है। वाद पत्र व आदेशिका की प्रमाणित प्रति पेश की है। श्री गुलाबचन्द डांगी के जीवनकाल में ही लक्ष्मी ने जाति समाज की प्रथा के अनुसार गुलाबचन्द से तलाक लेकर सियालपुरा के केसुलाल डांगी से विवाह कर लिया और अपीलान्ट लक्ष्मी उसके पति केसुलाल की विधवा के अनुसार सारे लाभ प्राप्त कर रही है। गुलाबचन्द डांगी ने रेस्पोडेन्ट संख्या एक पुष्पा से जाति समाज के अनुसार विवाह किया जिनकी पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या दो खूशबु है। जिनके आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, बिजली बिल की स्वप्रमाणित प्रति, ग्राम पंचायत गुडली द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, गुलाबचद की जीवन बीमा की राशि प्राप्त होने संबंधी अखबार की खबर की स्वप्रमाणित प्रति, बीमा पोलिसी की स्वप्रमाणित प्रति, बैंक पास बुक की स्वप्रमाणित प्रति व खूशबू के स्कूल की मार्कशीट की स्वप्रमाणित प्रति पेश की है जिनसे यह प्रमाणित हो जाता है कि गुलाबचन्द की पत्नी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पुष्पा है तथा गुलाबचन्द की पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 2 खूशबू है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के साथपेश समस्त दस्तावेजात उक्त अपील के पूर्ण एवं सम्यक् निस्तारण हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिनसे अपील के न्यायपूर्ण निस्तारण मे सहायता रहेगी जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलान्ट द्वारा पेश दस्तावेज की इस प्रकरण के निस्तारण हेतु कोई आवश्यकता नही है। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील को निरस्त करने की कृपा करे।

विपक्षी संख्या 3 से 8 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार अपीलान्ट ने अपना सम्पूर्ण जीवन अपने ससुराल में रह कर गुजारा है। अपीलान्ट के अलावा मृतक गुलाबचंद की ओर कोई पत्नी नही है। रेस्पोडेन्ट सख्या–1 व 02 को हम रेस्पोडेन्टगण नही जानते है और न ही कभी गुलाब जी डांगी ने रेस्पोडेन्ट सख्या–1 व 2 का कोई जिक्र किया हो। हमारे पारिवारिक दस्तावेजो में आज दिनांक तक रेस्पोडेन्ट सख्या–1

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर राज.

जिला कलक्टर
उदयपुर

व 2 का कोई नाम इन्द्राज नही हुआ है। फर्जी दस्तावेजो के आधार पर रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 हमारी जमीन जबरन हडपना चाहते है। पूर्व में रेस्पोडेन्ट सख्या–1 व 2 द्वारा जो दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय जी मावली में प्रस्तुत किया है उसमें भी हमने रेस्पोडेन्ट सख्या–1 व 2 को गुलाब के वारिस मानने से इन्कार किया था। फिर भी रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर गुलाब जी का नामान्तकरण इनके पक्ष में दर्ज करवा दिया। रेस्पोडेन्ट सख्या–1 व 2 कभी भी हमारे गांव मोतीखेडा एवं हमारे घर पर नही आई है एवं न ही उक्त जमीन पर उसका कोई कब्जा है। विवाह प्रमाण–पत्र एवं जन्म प्रमाण–पत्र की अनुपस्थिति में राजस्व कर्मचारीयो द्वारा रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 को किस तरह वारिस माना गया, यह संदेहास्पद है, इस कारण उक्त नामान्तकरण खारिज होने योग्य है, क्योकि पुष्पा न तो गुलाब की पत्नी है और न ही खुशबु गुलाब की पुत्री है। अपीलार्थी लक्ष्मी गुलाब की विवाहिता पत्नी है। इसके अलावा अन्य कोई विवाह गुलाब का नही हुआ है। रेस्पोडेन्ट सख्या–1 व 2 ने अपने हक व हिस्से के लिये न्यायालय एस०डी०ओ मावली में वाद प्रस्तुत किया था। उक्त वाद को जानबूझकर राजीनामे का झूठे तथ्यो का विवरण देते हुऐ खारिज करवाया तथा जनसुनवाई केम्पो के दौरान राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर एवं फर्जी गवाहो को इक्कठा करके अपने आप को गुलाब का वारिस बताते हुऐ फर्जी नामान्तकरण दर्ज करवाया है। उक्त नामान्तकरण की जानकारी रेस्पोडेन्ट सख्या–4 को हुई थी इसलिये जानकारी होते ही नामान्तकरण हेतु कार्यवाही की नकले भी प्राप्त की। नकले प्राप्त करने के उपरान्त लक्ष्मी को उक्त वाकये की जानकारी हुई क्योकि लक्ष्मी मावली में लम्बित वाद में किसी भी तरह से पक्षकार नही थी। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 ने फर्जी तरीके से अपना नाम नकल जमाबन्दी में दर्ज करवाया है, रेस्पोडेन्ट सख्या–1 व 2 का उक्त जमीन पर कोई भी कब्जा नही है। रेस्पोडेन्ट सख्या–1 व 2 अपने निजी लाभ हेतु ओने–पोने दामो में उक्त भूमि को भूमि दलालो को विक्रय कर सकते है, जिससे हम रेस्पोडेन्टगण अपने कब्जे काश्त की भूमि की जमीन का उपयोग सही तरीके से नही कर पायेगें तथा उक्त जमीन पर विवाद बढेगा।

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि राजस्व

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर

जिला कलक्टर
उदयपुर

ग्राम मोतीखेडा की इसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में इन्ही बिन्दुओं पर वाद उपखण्ड न्यायालय में विचाराधीन था। ऐसी स्थिति में तहसीलदार मावली को विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए, जनसुनवाई में दिए गए प्रार्थना पत्र पर नामांतरकरण नहीं खोल कर उपखण्ड न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए था व तदानुसार कार्यवाही करनी चाहिए थी।

चूंकि तहसीलदार मावली द्वारा नामान्तरकरण पारित करते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार मावली द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 811 दिनांक 06.11.2021 (स्वीकृत दिनांक 17.11.2021) खारिज किया जाता है। इस निर्णय से उपखण्ड न्यायालय मावली में विचाराधीन प्रकरण अप्रभावित रहेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार मावली को पालनार्थ प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार हो, बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर